आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार वाद सं0–12/2019

मो0 रफीउल हुडा.................................वादी

बनाम्

बदन यादव................................प्रतिवादी

आदेश

17/9/21

प्रस्तुत वाद का अभिलेख अंचल अधिकारी, अलौली के पत्रांक–862 दिनांक–14.05.18 के आलोक में संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
हथवन	162	3390	0–5–10

प्रस्तुत वाद के आवेदक ने प्रथमतः जमाबंदी सुधार हेतु एक आवेदन अंचल अधिकारी, अलौली के समक्ष दिये। जिसमें अंचल अधिकारी, अलौली राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर जमाबंदी सं0 2908 में सुधार हेतु अनुशंसा किये। आवेदक का कथन है कि शेख रहीम एवं मो0 उसमान ने केवाला सं0 5388 दिनांक 03.08.1967 के द्वारा प्रश्नगत 0–5–10 भूमि गेना यादव पे0–बिहार यादव को बिक्री किये। विक्रेता शेख रहीम के नाम से जमाबंदी सं0 388 एवं मो0 उसमान के नाम से जमाबंदी सं0 446 गठित थी तथा गेना यादव को बिक्री की जमीन में से आधा रकवा 0–2–15 जमाबंदी सं0 388 एवं आधा रकवा 0–2–15 जमाबंदी सं0 446 से खारिज होकर गेना यादव का दाखिल खारिज किया जाना था। परन्तु जब क्रेता द्वारा नामान्तरण हेतु दाखिल खारिज वाद सं0 372/16–17 दायर किया गया तो सम्पूर्ण रकवा 0–5–10 एक ही जमाबंदी सं0 446 जो आवेदक के पिता के नाम गठित थी से खारिज कर दिया गया। जबकि विपक्षी की जमाबंदी के गठन के समय रकवा 0–2–15 जमाबंदी सं0 446 से तथा 0–2–15 जमाबंदी सं0 388 से खारिज होना चाहिए था। अतः आवेदक ने उपरोक्त वर्णित आधारों पर अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा की गयी अनुशंसा को सम्पुष्ट करने का निवेदन किये। आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दास्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये :–

1. निबंधित दस्तावेज वर्ष 1967 की प्रति।
2. वर्ष 12–13 में निर्गत लगान रसीद।

विपक्षी गेना यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र बदन

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

यादव इस वाद में पक्षकार बनकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये। जिसमें उन्होंने कथन किया है कि उनके पिता संयुक्त रूप से शेख रहीम एवं मो0 उस्मान से निबंधित केवाला दिनांक–03.08.1967 के द्वारा क्रय किये। विपक्षी ने यह भी कथन किया है कि उनके विक्रेता शेख रहीम के नाम से जमाबंदी सं0 388 एवं मो0 उस्मान के नाम से जमाबंदी सं0 446 कायम थी। विपक्षी अपने नामान्तरण हेतु दाखिल खारिज वाद सं0 372/16–17 दायर किये। जिसमें पारित आदेश से जमाबंदी सं0 446 से प्रश्नगत रकवा खारिज कर उनके पिता के नाम से जमाबंदी सं0 2908 गठित हुई। विपक्षी ने उपरोक्त कथन करते हुए विपक्षी के जमाबंदी को कायम रखते हुए न्यायोचित आदेश पारित करने का निवेदन किये।

उभय पक्षों के अभिकथन एवं अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदंन से यह स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी के पिता एक ही केवाला सं0 5388 दिनांक–03.08.1967 के द्वारा प्रश्गनत भूमि संयुक्त रूप से शेख रहीम एवं मो0 उसमान से क्रय किये। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि शेख रहीम के नाम से जमाबंदी सं0 388 एवं मो0 उस्मान के नाम से जमाबंदी सं0 446 गठित थी। स्वभाविक रूप से दोनों विक्रेता की जमाबंदी सं0 388 एवं 446 से बिक्री रकवा 0–5–10 में से रकवा 0–2–15 जमाबंदी सं0 388 से तथा रकवा 0–2–15 जमाबंदी सं0 446 से खारिज कर विपक्षी के पिता के नाम से जमाबंदी सं0 2908 गठित किया जाना अपेक्षित था। परन्तु सम्पूर्ण रकवा 0–5–10 एक ही जमाबंदी सं0 446 से खारिज कर दिया गया। अतः अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा जमाबंदी सं0 2908 में सुधार हेतु की गई अनुशंसा विधि अनुकूल है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0 19/17–18 में की गयी जमाबंदी सुधार की अनुशंसा को सम्पुष्ट किया जाता है तथा मौजा–हथवन में गठित जमाबंदी 2908 से रकवा 0–2–15 विलोपित कर जमाबंदी सं0 446 पर आमद करने एवं पुनः मौजा हथवन में गठित जमाबंदी सं0 388 से रकवा 0–2–15 खारिज कर उक्त रकवा को जमाबंदी सं0 2908 पर आमद करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, अलौली को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

17/[illegible]

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 552 दिनांक 28/10/21

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी, अलौली को [illegible] आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – [illegible] खगड़िया को [illegible] हेतु प्रेषित।

[illegible]
(अपर समाहर्त्ता
खगड़िया)